

5. नये नियमों में जो आवश्यक एवं उपयुक्त Format अपेक्षित है, उनके प्रारूप भी भिजवाने का श्रम करें।

शीघ्र ही इस क्रम में बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, अतः कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

(रामावतार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव /
शासन सचिव, PWD/WRD/GWD/CAD/
IGNB/UDH/LSG/Forest

अशा.टीप सं. प. 1(3) वित्त / साविलेनि / 2016
जयपुर, दिनांक: 30/11/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता / वित्तीय सलाहकार, PHED/PWD/WRD/Forest/GWD/
CAD/IGNB/UDH/LSG/Raj.Housing Board/JDA/Jodhpur
Dev.Authority/Ajmer Development Authority.
4. सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, RWSSMB जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, वित्त (SPFC) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव